RASHTRIYA SAHARA, Varanasi, 6.5.2022
Page No. 7, Size:(8.36)cms X (18.02)cms.

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से मांगी रिपोर्ट

कंदवा/ चन्दौली । शासन में वैठे जिम्मेदारों एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के मनमाना रवैये के चलते स्वास्थ्य सेवाएं वे पटरी हो गई है। जनपद के अधिकांश स्वाथ्य केंद्र एवं उपस्वाथ्य केंद्र जर्जर हो गए है या तो पूर्ण रूप से निष्क्रिय हो गए है। मामला कंदवा के लक्ष्मणपुर उपस्वस्थ्य केंद्र का है। जहां उपस्वस्थ्य केंद्र पूर्ण रूप से जर्जर हो गया है और सुविधाये नदारत हो गई है। जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग की घोर लापरवाही एवं जनता की समस्यायों को देखते हुए मानवाधिकार सीडव्ल्यूए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) ने पूरे मामले की शिकायत राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में 2019 में की थी। आयोग ने मामले को संज्ञान में लेते हुए प्रमुख सचिव हेल्थ से रिपोर्ट तलव किया था। इसके वावजूद शासन से आयोग को कोई रिपोर्ट प्राप्त नही हुई। मामले को संज्ञान में लेते हुए मानवाधिकार सीडव्ल्यूए के चेयरमैन ने मामले में आयोग से हस्तक्षेप करने की मांग की। चेयरमैन ने आयोग में भेजी गई शिकायत में उल्लेख किया कि लक्ष्मणपुर गांव मे उप-स्वास्थ्य केन्द्र का भवन जर्जर हो गया है जिसके कारण मुख्य रूप से ग्रामीण गर्भवती महिलाओं को इलाज और प्रसव के लिए दूसरे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जाना पड़ता है। अधिकारियों से कई वार शिकायत करने के वावजूद कोई कार्यवाई नही हुई। आयोग ने शख्त रुख अख्तियार करते हुए मामले पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। आगे आयोग ने कहा है कि यदि निर्धारित समय मे रिपोर्ट प्राप्त नही होती जा तो आयोग मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत जवरजस्ती प्रक्रिया शुरू करने के लिए वाध्य किया जाएगा। जिसमे सम्वंधित प्राधिकारी की व्यक्तिगत उपस्थिति का आह्वाहन किया जाएगा।

RAJASTHAN PATRIKA, Surat, 6.5.2022
Page No. 11, Size:(13.55)cms X (17.08)cms.

13 बार मां दर्ज करा चुकी थी रिपोर्ट, फिर थाने में ही हो गया गैंगरेप

स्निग्धा सिंह
patrika.com

लखनऊ. ललितपुर नाबालिग से गैंगरेप के मामले में एक और चौंकाने वाला तथ्य पुलिस के सामने आया है। जांच के दौरान अधिकारियों को पता चला कि पीड़िता की मां ने इससे पहले भी छेड़छाड़, रेप की कोशिश आदि की 13 एफआईआर दर्ज कराई थीं।

एडीजी ने इन सभी मामलों के दस्तावेज निकालने और जांच में शामिल करने का आदेश दिया है। वर्दी को दागदार करने वाले इस सनसनीखेज मामले की जांच में पुलिस के कई गंभीर तथ्य आए हैं, जिनकी गहराई से जांच की जा रही है। एडीजी जोन भानु भास्कर ने बताया कि पीड़िता की मां ने इससे पूर्व 13 एफआईआर अलग अलग आरोपितों के खिलाफ दर्ज कराई हैं।

सीएम आफिस ने तलब की रिपोर्ट: आरोपितों की गिरफ्तारी तेजी से शुरू हुई मगर तब तक मामला तूल पकड़ चुका था। सीएम आफिस ने ललितपुर गैंगरेप कांड की रिपोर्ट तलब कर ली।

स्टेशनों के पास ही वारदात क्यों: मा के बयान में यह भी कहा है कि जयपुर और भोपाल में रेलवे स्टेशन के पास गलियों में आरोपितों ने बेटी के साथ घटना को अंजाम दिया। एडीजी के मुताबिक विवेचना के दौरान पुलिस टीमों को जयपुर व भोपाल भेजा जाएगा।

इनमें से चार मुकदमों में फाइनल रिपोर्ट लग गई। चार में चार्जशीट दाखिल हुई।

Prayagraj killings: NHRC registers case regarding inaction following TMC complaint

https://www.tribuneindia.com/news/nation/prayagraj-killings-nhrc-registers-case-regarding-inaction-following-tmc-complaint-392055

Following a complaint by Trinamool Congress (TMC), National Human Rights Commission (NHRC) has registered a case of "failure in taking lawful action" in connection with the murder of five members of a family last month in Khevrajpur village of Prayagraj in Uttar Pradesh.

A NHRC document made available by the TMC on Whatsapp showed the Dairy No. as 66225/CR/2022 and Case No. as 11915/24/4/2022. The section mentioned was M-6 and the complainant's address was given as "All India Trinamool Congress, 61 South Avenue, New Delhi".

"Incident place" was recorded as "Prayagraj" and the complaint received date was recorded as April 29.

A TMC fact-finding team went to Khevrajpur village in Prayagraj, UP, on April 24 to meet the survivors. Later, the TMC alleged a "massive cover-up" and claimed that the women victims were raped before being killed.

FREE PRESS JOURNAL, Online, 6.5.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Well implement CAA on ground moment COVID-19 wave ends: Union Minister Amit Shah in Bengal; watch video

https://www.freepressjournal.in/india/well-implement-caa-on-ground-moment-covid-19-wave-ends-union-minister-amit-shah-in-bengal-watch-video

Union Home Minister Amit Shah has said that the Citizenship Amendment Act will be implemented in Bengal once the Covid pandemic blows over.

Shah, who is on a two-day visit to Bengal, said Trinamool Congress was fooling the people by suggesting that CAA will not be implemented.

‘‘I am telling you that after corona we will implement the Act. CAA was a reality, is a reality and will remain one. Nothing has changed," he added.

Passed by Parliament in 2019, the CAA allows non-Muslim minorities in Pakistan, Bangladesh and Afghanistan — Hindu, Sikh, Jain, Buddhist, Parsi and Christian — to acquire Indian citizenship in order to escape persecution in their native countries. Under the Act, people from these communities who came to India before December 31, 2014, will not be treated as illegal immigrants but given Indian citizenship.

West Bengal was one of the states that passed a resolution against the CAA.

Countering Shah, Chief Minister Mamata Banerjee asserted that if a section of people are not voters of the state then how they voted in the recently concluded election.

“Amit Shah is the Home Minister of the country. Prime Minister Narendra Modi is ruling the country. If a section of people are not voters then how did they vote and choose the PM, CM and others?” questioned Mamata.

Taking potshots at the Trinamool Congress supremo, Shah said that the fight of the BJP against the TMC will continue. “People of Bengal have chosen Mamata Banerjee as the chief minister for the third time. But even then the violence, killings and the syndicate didn’t stop operating in the state. The BJP’s fight against the TMC will continue. Didi should not think that she can loot people and the BJP will be silent,” said the Union Home Minister.

Quoting National Human Rights Commission (NHRC), Shah said that the NHRC, in its report, has claimed that in Bengal the ‘law’ of ruler prevails.

UNI, Online, 6.5.2022
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Lalitpur incident: Satyarthi urges UP CM to take strict action against accused

https://www.uniindia.com/story/Lalitpur-incident-Satyarthi-urges-UP-CM-to-take-strict-action-against-accused

Nobel laureate Kailash Satyarthi on Thursday said the alleged rape of a gangrape survivor at a police station in Uttar Pradesh's Lalitpur district was a ''blot on India's democracy'' and urged Chief Minister Yogi Adityanath to take stern action in the matter. "The rape of a 13-year-old girl, who had gone to report rape, is a blot on India's democracy. Suspend all the policemen present in Lalitpur police station. Chief Minister, please take strict steps to wipe this stigma," Satyarthi wrote in a tweet in Hindi. On Wednesday, the National Human Rights Commission (NHRC) had issued notices to the state Chief Secretary and the Director General of Police over the alleged rape of the gangrape survivor. Taking suo motu cognisance of a media report that a 13 year-old girl was allegedly raped by the in-charge of a police station in Lalitpur district, when she went to register an FIR about gangrape, the Rights body sought a report within four weeks. The Commission observed that the contents of media report, if true, amount to human rights violation of the survivor. UNI DS RJ

शाह को भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं पर हमले नहीं दिखते: ममता

https://navbharattimes.indiatimes.com/state/west-bengal/kolkata/shah-does-not-see-attacks-on-women-in-bjp-ruled-states-mamata/articleshow/91350457.cms

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भाजपा शासित राज्यों में सांप्रदायिक हिंसा और महिलाओं पर हमलों को लेकर आंखें मूंदकर बंगाल की स्थिति के बारे में झूठ फैला रहे हैं।
बनर्जी ने दावा किया कि केंद्र विभिन्न घटनाओं के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) और अन्य टीमों को पश्चिम बंगाल भेज रहा है, लेकिन दिल्ली के हिंसा प्रभावित जहांगीरपुरी और उत्तर प्रदेश में नहीं जहां महिलाओं पर कथित रूप से हमला किया जा रहा है।

उन्होंने कहा, "श्री अमित शाह क्या आप पश्चिम बंगाल के गृह मंत्री हैं, या पूरे देश के गृह मंत्री हैं? आपके कृत्यों से ऐसा लगता है कि आप केवल पश्चिम बंगाल के प्रति आसक्त हैं।''

उन्होंने कहा, "श्री शाह केवल बंगाली और हिंदी भाषी समुदायों के बीच, हिंदुओं और मुसलमानों के बीच अलगाव उत्पन्न करना चाहते हैं। कृपया आग से नहीं खेलें।''

शाह वर्तमान में पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं।

NAV-BHARAT, Mumbai, 6.5.2022
Page No. 12, Size:(13.60)cms X (18.69)cms.

युवती को 'थर्ड डिग्री'

UP : महिला दारोगा, मुंशी की करतूत

लखनऊ, एजेंसियां. ललितपुर में किशोरी के साथ थाने में हुए दुष्कर्म का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से खाकी शर्मसार हुई है. मामला महरौनी थाने से जुड़ा हुआ है, जहां केवल तांत्रिक के कहने पर पुलिस ने युवती को चोरी का आरोपी मान लिया. बात यहां तक ही खत्म नहीं हुई, बल्कि थाने के मुंशी व महिला दारोगा ने अपराध कबूलने के लिए उस पर दबाव बनाया और रातभर बंद कमरे में निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटा.घटना महरौनी थाने के अंतर्गत आने वाले डाकघर इलाके की है. मोहल्ला खरवांचपुरा में रहने वाली युवती पूजा (30) थाने में मुंशी पद पर तैनात पुलिसकर्मी अंशु पटेल के घर में खाना बनाने और झाडू-पोछा का काम करती है. उसने डाकखाने के पास स्थित मुंशी के मकान में बीते 14 अप्रैल से ही काम शुरू किया था. 2 मई के दिन खाना बनाने पहुंची पूजा को अंशु की पत्नी ने रोक लिया और फिर अंशु को बुला लिया.

पुलिसकर्मियों ने निर्वस्त्र कर बेल्ट से की पिटाई

अंशु अपने साथ महिला दारोगा पारुल चंदेल को भी लेकर पहुंचा और घर में हुई चोरी के संबंध में पूछताछ शुरू की. पूजा ने खुद को निर्दोष बताया तो दोनों पुलिसकर्मियों ने रात 8 बजे से उसे कमरे में बंद कर निर्वस्त्र कर बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया. इस दौरान उस पर लगातार पानी की बौछार की जा रही थी, वह मिन्नतें करती रही लेकिन पुलिसकर्मी नहीं माने. अंशु ने चोरी कबूल करने की धमकी देते हुए गालियां भी दीं. युवती पूजा ने बताया कि मारपीट के दौरान अंशु ने कहा कि एक तांत्रिक ने बताया है कि चोरी उसी ने की है.

AAJ, Lucknow, 6.5.2022
Page No. 2, Size:(17.26)cms X (10.62)cms.

ललितपुर रेप कांडः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ललितपुर में थाने में न्याय की आस में पहुँची किशोरी के साथ थानेदार द्वारा किए गए दुष्कर्म मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और पुलिस महानिदेशक से जवाब मांगा है। पुलिस ने मामले में एसएचओ तिलकधारी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज सभी को कोर्ट के समाने पेश किया गया। राज्य महिला आयोग की सदस्य पीड़ित परिवार से मुलाकात भी करेंगी। पाली थाने में गैंगरेप की शिकायत करने पहुंची 13 साल की किशोरी से एसएचओ पर दुष्कर्म का आरोप लगा है। पीड़िता का बयान दर्ज करने के बाद एसएचओ बहाने से थाने के कमरे में ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस बात का खुलासा चाइल्ड लाइन की काउंसलिंग में पीड़िता ने किया था। पुलिस ने मामले में एसएचओ तिलकधारी समेत 4 चार लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। थानेदार की गिरफ्तारी के बाद उसकी पत्नी एडीजी जोन के ऑफिस में पहुंच गई। उसने कहा कि उसके पति पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। साजिश के तहत उनको फंसाया गया है। उनको झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है। जिसे पीड़िता बताया जा रहा है वह पीड़िता नहीं है। खुद कई लोगों को इसके पहले झूठे मुकदमे में फंसाकर जेल भेज चुकी है। आरोप है कि युवती की मौसी भी दुष्कर्म मामले शामिल है, पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया है। विगत 2 अप्रैल को ललितपुर

यूपी सरकार और डीजीपी को भेजी नोटिस

चाइल्ड लाइन की टीम 13 साल की किशोरी व उसकी मां को लेकर एसपी के पास पहुंची थी। पीड़िता की मां ने पुलिस अधीक्षक को बताया था कि 22 अप्रैल को कस्बा पाली निवासी चंदन, राजभान, हरीशंकर व महेंद्र चौरसिया उनकी 13 वर्षीय नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भोपाल ले गए और तीन दिन तक उसका रेप किया। 25 अप्रैल को चारों लड़के उनकी बेटी को पाली थाने में दरोगा के पास छोड़कर भाग गए। दरोगा ने लड़की को उसकी मौसी को सौंप दिया। मौसी द्वारा लड़की को एक आरोपी चंदन की बहन के पास दो दिन के लिए भेज दिया। 27 अप्रैल को थाने में पीड़िता को फिर से बुलाया। उसका बयान लिया। शाम हुई तो लड़की को थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज कमरे में ले गए। वहां रेप किया। बाद में लड़की को उसकी मौसी को सौंप दिया। इसकी कोई भी सूचना लड़की के माता-पिता को नहीं दी। 30 अप्रैल को लड़की को दोबारा थाने बुलाया। एसएचओ द्वारा पीड़िता को चाइल्ड लाइन एनजीओ को सौंप दिया गया। चाइल्ड लाइन में बच्ची की कांउसलिंग की गई तो पीड़िता ने एसएचओ के रेप करने वाली घटना बताई। 2 अप्रैल को चाइल्ड लाइन पीड़िता और उसकी मां को लेकर एसपी के पास पहुंचे और आपबीती बताई। एसपी के आदेश पर 2 अप्रैल को आरोपी थानाध्यक्ष पाली तिलकधारी सिंह सरोज, चन्दन, राजभान, हरीशंकर, महेंद्र चौरसिया और पीड़िता की मौसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले को गंभीरता से ले लिया है। प्रदेश सरकार और डीजीपी से जवाब तलब किया गया है। मामले को लेकर सियासत भी गरमा गई है। विपक्ष सरकार और पुलिस पर हमलावर है।

PUNJAB KESARI, Lucknow, 6.5.2022
Page No. 2, Size:(13.55)cms X (15.87)cms.

ललितपुर दुष्कर्म कांड : थानाध्यक्ष 14 दिन के पुलिस रिमांड पर, नए स्टाफ की तैनाती

ललितपुर, 5 मई (एजैंसियां) : जिले के पाली थाना परिसर में 13 साल की दुष्कर्म पीड़िता के मामले में बृहस्पतिवार को नए स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। बुधवार को गिरफ्तार किए गए पाली थाने के थानाध्यक्ष तिलकधारी सरोज को अदालत में पेश करने पर उसे 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया।

निलंबित एस.एच.ओ. को पिछले दिन प्रयागराज में गिरफ्तार कर यहां लाया गया था। इसके पहले पाली थाने में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को डी.आई.जी. (पुलिस उप महानिरीक्षक) जोगेंद्र कुमार ने लाइन हाजिर कर दिया था, अब इस थाने का प्रभार निरीक्षक धर्मेंद्र सिंह को बनाया गया है और पूर्व की भांति पुलिसकर्मियों की तैनाती कर दी गई है। उन्होंने बताया कि पीड़िता की मौसी और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी 2 युवकों को बुधवार को ही अदालत ने न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

महिला को पीटने पर 3 पुलिसकर्मी निलंबित

उत्तर प्रदेश के ललितपुर में सामूहिक बलात्कार की पीड़ित बच्ची के साथ थानाध्यक्ष द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला अभी शांत भी नहीं हो पाया था कि गुरुवार को कथित चोरी के आरोप में एक महिला को कोतवाली में जमकर पीटने की घटना सामने आने पर कोतवाली प्रभारी, महिला उपनिरीक्षक और एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस के अनुसार ललितपुर के महरौनी थाना क्षेत्र में पुलिसकर्मी के घर पर काम करने वाली महिला को कथित चोरी के इल्जाम में घर और कोतवाली में पीटे जाने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए जिले के पुलिस अधीक्षक निखिल पाठक ने महरौनी कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक कामता प्रसाद, महिला उपनिरीक्षक पारूल चन्देल व आरक्षी अंशू पटेल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

इस मामले में शिकायतकर्त्ता पूजा पत्नी लक्ष्मी प्रसाद, निवासी मुहल्ला खरवांचपुरा थाना महरौनी ने लिखित शिकायत दी थी।

JANSANDESH TIMES, Lucknow, 6.5.2022
Page No. 1, Size:(5.52)cms X (14.27)cms.

ललितपुर रेप कांड के बाद अब महिला को थाने में दी थर्ड डिग्री

ललितपुर/किसरदा। ललितपुर रेप कांड का मामला अभी शांत भी नहीं पड़ा था कि ललितपुर जिले में एक और पुलिस की बर्बरता का मामला सामने आया है। यूपी पुलिस पर यहां एक महिला को थाने के अंदर बंद करके उसे थर्ड डिग्री देने और निर्वस्त्र करके पीटने का आरोप लगा है। थाने के अंदर महिला की बेरहमी से पिटाई के अगले दिन एसपी ने मामला संज्ञान में लेते हुए तीन पुलिसकर्मियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया है। इनमें एक कोतवाली प्रभारी, महिला उप निरीक्षक और सिपाही शामिल हैं। वहीं उप निरीक्षक व सिपाही के विरुद्ध मारपीट संग अवैध रूप से हिरासत में लेने संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया। मामला बुधवार का बताया जा रहा है। पाली थाना प्रांगण में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के साथ बलात्कार के मामले की जांच अभी पूरी भी नहीं हो सकी थी महरौनी कोतवाली में तैनात मुंशी और महिला दरोगा ने एक महिला को कमरे में बंद कर थर्ड डिग्री दी।

PUNJAB KESARI, Lucknow, 6.5.2022
Page No. 3, Size:(14.66)cms X (12.58)cms.

चंदौली और ललितपुर कांड की सी.बी.आई. जांच करवाई जाए : संजय सिंह

प्रयागराज, 5 मई (प.स.): आम आदमी पार्टी (आप)के सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश के चंदौली और ललितपुर कांड की सी.बी.आई. से जांच करवाने की बृहस्पतिवार को मांग की। यहां सर्किट हाऊस में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इन दोनों मामलों में पुलिस के लोग अभियुक्त हैं। इसलिए पुलिस की किसी भी जांच में न्याय नहीं मिल सकता है।

उन्होंने कहा कि ललितपुर में एक किशोरी के साथ थाना में दुष्कर्म किया गया जबकि चंदौली कांड में जो भी आरोपी हैं, उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। संजय सिंह ने कहा कि चंदौली में 25 पुलिसकर्मी एक घर में घुस जाते हैं और 2 लड़कियों से मारपीट करते हैं, घटना में एक लड़की की मौत हो जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस की जांच में पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल सकता है। 'आप' सांसद ने कहा कि इन मामलों को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 7 तारीख को विरोध प्रदर्शन करेगी, ज्ञापन देगी और दोनों घटनाओं से सी.बी.आई. से जांच करवाने की मांग करेगी।

प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि आज फिर ललितपुर से समाचार आ रहा है कि एक महिला को थाना में नंगा करके मारा गया। योगी आदित्यनाथ के राज में यदि ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो हम सब शर्मिंदा हैं। मैं पूछता हूं कि क्या खाकी वर्दी के अपराधियों पर भी सरकार बुल्डोजर की कार्रवाई करेगी। देश में कोयले की कमी से उपजे बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि देश कोयले के उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। देश में कोयले का कृत्रिम संकट पैदा किया गया है ताकि अडानी से कोयला खरीदा जा सके।

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 6.5.2022
Page No. 12, Size:(3.14)cms X (4.59)cms.

NHRC issues notices over water crisis in Nasik village

The National Human Rights Commission, India has taken a suo motu cognizance of a media report that due to acute shortage of water in Dandichi Bari village in Nasik district of Maharashtra, the villagers have to struggle daily for a drop of water.

The women have to walk a kilometre and a half every summer, from March to June, to fetch water from a nearly dry stream at the bottom of a hill. The commission has called for a detailed report on the matter along with an action plan within 6 weeks.

HINDUSTAN TIMES, Delhi, 6.5.2022
Page No. 12, Size:(3.64)cms X (5.49)cms.

Lalitpur gang-rape: NHRC issues notice to UP govt

The NHRC, India has taken suo motu cognizance of a media report that a 13 years old girl was raped by the in-charge of the police station in the Lalitpur district of Uttar Pradesh when she went to register an FIR about her gang rape. Notices have been issued to the Chief Secretary and the DG of Police, Government of Uttar Pradesh calling for a report within four weeks. According to the media report, the officer concerned has been placed under suspension and an FIR has been registered against him.

शर्मनाक : थाने में महिला को निर्वस्त्र कर पीटा, एसओ समेत तीन निलंबित

ललितपुर, संवाददाता। जिले के पाली थाने में गैंगरेप पीड़िता से रेप की घटना में जांच पूरी भी न हो पाई थी कि महरौनी थाने में महिला से बर्बरता का मामला सामने आ गया। चोरी के शक में महिला को पहले सिपाही के घर में थर्ड डिग्री दी और फिर पति समेत थाने ले जाकर निर्वस्त्र कर बेल्टों से पीटा गया। एसपी ने कोतवाली प्रभारी, महिला दरोगा व सिपाही को निलंबित कर जांच के आदेश दिए हैं। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है।

मोहल्ला खरवांचपुरा निवासी पूजा ने बताया कि वह महरौनी थाने के मुंशी अंशू पटेल के घर में काम करती है। दो मई को सुबह खाना बनाने के बाद वह घर लौट आई। शाम को दोबारा पहुंची तो अंशू की पत्नी ने कमरे में बंद कर दिया। अंशू अपने साथ महिला दरोगा पारुल चंदेल को लेकर आया और उससे चोरी के संबंध में पूछताछ करने लगा। उसने खुद को निर्दोष बताया तो दोनों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। रात में लाइट बंद कर उस पर पानी की बौछार की गई और कपड़े उतारकर बेल्टों से पीटा गया।

इसके बाद उसके बीमार पति को बुलाकर दोनों को थाने ले गए। महिला के अनुसार यहां भी थाने में फिर कमरे में बंदकर निर्वस्त्र कर बेल्टों से पीटा गया और पति को हवालात में बंद कर दिया गया। हालत बिगड़ने लगी तो पति-पत्नी के बीच झगड़ा बताकर पति का शांतिभंग में चालान कर दिया।

बुधवार देर शाम बदहवास पीड़िता को वाहन में लिटाकर परिजन एसपी कार्यालय पहुंचे और पुलिस बर्बरता की पूरी कहानी सुनाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी निखिल पाठक ने महरौनी प्रभारी निरीक्षक कांता प्रसाद, महिला दरोगा पारुल चंदेल व सिपाही अंशु पटेल को निलंबित कर दिया। पीड़िता ने यह भी बताया कि चोरी के बाबत किसी तांत्रिक से पूछकर उस पर शक किया गया और पीटा गया है।

रिपोर्ट देने के लिए 24 घंटे का वक्त और दिया

कानपुर। ललितपुर के पाली थाने में नाबालिग से रेप के मामले में जांच रिपोर्ट अब शुक्रवार को सौंपी जाएगी। डीआईजी झांसी को रिपोर्ट देने के लिए एडीजी जोन ने 24 घंटे का वक्त और दिया है। तमाम तथ्यों की छानबीन और 50 से ज्यादा लोगों के बयान के बाद भी अभी कई महत्वपूर्ण पहलू बाकी रह गए हैं। इसे देखते हुए यह मोहलत दी गई है। पाली थाने में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता से रेप की सनसनीखेज वारदात में निलंबित तत्कालीन इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज को गिरफ्तार किया जा चुका है।

MILLENNIUM POST, Delhi, 6.5.2022
Page No. 5, Size:(8.76)cms X (7.75)cms.

Prayagraj killings: Post TMC's prod, NHRC registers case

OUR CORRESPONDENT

KOLKATA: National Human Rights Commission (NHRC) registered a case in connection with the incident where five members of a family were burnt at Khevrajpur in Prayagraj.

A three-member Trinamool Congress (TMC) delegation led by party Rajya Sabha MP Dola Sen met the chairman of NHRC Justice (Retd) Arun Misra and requested him to take immediate action on the incident last week. The delegation also demanded a CBI inquiry into the matter and alleged lackadaisical attitude on the part of the state police and the Superintendent of Police to include rape charges in the FIR.

The victims relatives alleged that two women were raped before being set on fire. Trinamool leaders hoped that quick action will be taken and the criminals will be brought to book.

RASHTRIYA SAHARA, Delhi, 6.5.2022
Page No. 8, Size:(7.91)cms X (15.17)cms.

उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता की मौत के मामले में मुआवजा देने का आदेश

लखनऊ(एसएनबी)। उन्नाव जिला जेल में विचाराधीन वंदी पप्पू उर्फ सुरेंद्र की विगत 9 अप्रैल 2018 में हुई मृत्यु के वाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर उसके परिजनों को तीन लाख रूपये मुआवजे के रूप में देने का आदेश जारी कर दिया गया है। शासन द्वारा कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं के डीजी को भेजे गये पत्र में मृत वंदी के आश्रितों को तीन लाख रूपये की धनराशि प्रदान करने और मुआवजे के समतुल्य धनराशि को दोषी पाए गये कर्मचारियों से वसूल करके राजकोष में जमा करने के निर्देश दिए गये है।

वंदी पप्पू उर्फ सुरेंद्र उन्नाव गैंगरेप पीड़िता का पिता था। उसे स्थानीय विधायक कुलदीप सिंह सेंगर के भाई अतुल और वाद में पुलिस द्वारा वर्वरता से पिटाई करने के वाद मुकदमा दर्ज करके जिला जेल भेजा गया था जहां उसे समुचित चिकित्सा उपलव्ध नहीं करायी गयी थी। हालत विगड़ने पर जव उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया तो उसकी मौत हो गयी। इस प्रकरण में माखी थाने के छह पुलिसकर्मियों के साथ जिला चिकित्सालय के सीएमएस और आकस्मिक चिकित्साधिकारी को निलंवित कर दिया गया था।

PIONEER (HINDI), Delhi, 6.5.2022
Page No. 7, Size:(8.72)cms X (11.56)cms.

थाने में नाबालिग से रेप का आरोपी इंस्पेक्टर भेजा गया जेल

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

ललितपुर जिले के पाली थाने में न्याय की गुहार करने गई गैंग रेप पीड़ित नाबिलग किशोरी से बलात्कार करने के आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज को पुलिस ने बृहस्पतिवार को कोर्ट के समक्ष पेश किया। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करने के बाद इंस्पेक्टर को 14 दिनों की रिमांड पर जेल भेज दिया। उधर डीआईजी झांसी जोगेन्द्र कुमार ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में गिरफ्तार इंस्पेक्टर की कई हरकतें गैरकानूनी पाई गई हैं। घटना का खुलासा होने के बाद आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज बीते मंगलवार को फरार हो गया था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गईं थीं। इंस्पेक्टर को बुधवार को पुलिस ने प्रयागराज से गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ की गई। हालांकि पूछताछ में उसने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों से इंकार किया और मुकदमे को फर्जी बताया। पुलिस मुख्यालय के अनुसार इस घटना में शामिल पीड़िता की मौसी सहित सभी छह आरोपी गिरफ़्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। डीआईजी जोगेंद्र कुमार ने अपने स्तर से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। प्रारम्भिक जांच में यह पता चला है कि आरोपी इंस्पेक्टर तिलकधारी सरोज ने 26 अप्रैल को किशोरी के थाने पहुंचने पर न रिपोर्ट दर्ज की और न ही आरोपितों के खिलाफ कोई कार्रवाई की। पीड़ित किशोरी का मेडिकल भी नहीं कराया गया। माता-पिता के बजाए उसे उसकी मौसी को सौंप दिया गया। थाने में महिला सिपाहियों के होने के बावजूद इंस्पेक्टर ने खुद पूछताछ की।